मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी स्वाबलंबन एवं नारी सम्मान हेतु विशेष अभियान चलाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को चौपाल/पुलिस की पाठशाला लगाकर जागरूक किया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा के थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो/शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 08.06.2024 को शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा

इस दौरान महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) अभियान के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और विभिन्न परिस्थियों पर उनके सहायतार्थ जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई । साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही की जायेगी

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 08.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 25.05.2024 को वादी मुकदमा श्री जयकरन पुत्र रामरतन पाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम बमरारा थाना चरखारी जनपद महोबा द्वारा थाना चरखारी पर तहरीर दी गयी "कि मेरी पुत्री अंगूरी उम्र करीब 16 वर्ष जो दिनांक 24.05.24 को अपने दूर के रिश्तेदार आकाश पाल के साथ चरखारी बाजार जाना व बाजार से आकाश पाल का अपने घर वापस लौट आना परन्तु मेरी पुत्री अंगूरी का घर वापस न आने व तलाश करने पर पुत्री अंगूरी का कोई पता न चलने" के आधार पर मु0अ0सं0 134/2024 धारा 363 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था, युवती की शीघ्र बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार द्वारा थाना चरखारी पर टीमों का गठन किया गया था जिसके क्रम में दिनांक 02.06.2024 को थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत करौला नाला के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त कपड़ो के माध्यम से मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता कु0 अंगूरी के रूप में उसके पिता द्वारा की गयी। विवेचना के क्रम में बयान वादी, बयान गवाह व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही से ज्ञात हुआ कि आकाश पाल द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर बाजार कराने के बहाने कस्बा चरखारी ले जाना और दुष्कर्म करने का प्रयास करना व पीड़िता द्वारा विरोध करने पर उसकी हत्या कर देना और शव को झाड़ियो में छिपा कर उमर के पेड़ से लटका कर फांसी का स्वरूप देने की कोशिश करना।

विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1.आकाश पुत्र देवीदीन पाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम कमलखेड़ा थाना खरेला जनपद महोबा का नाम प्रकाश में लेते हुये धारा 302/201/120बी भादवि की वृद्धि की गयी। मुकदमा उपरोक्त धारा बढ़ोत्तरी के बाद आज दिनांक 08.06.2024 को महाकाल ढाबा के पास स्थित नहर पुलिया कस्बा चरखारी से वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र देवीदीन पाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम कमलखेड़ा थाना खरेला जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार
2. उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवारी
3. हे0का0 श्याम सिंह 4. का0 हिमांशु कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

आकाश पाल पुत्र देवीदीन पाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम कमलखेड़ा थाना खरेला जनपद महोबा

थाना समाधान दिवस के अवसर पर सुनी गयी फरियादियों की समस्यायें, प्राप्त हुयी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 08.06.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा पहुंचकर जनसुनवाई की गयी, इस दौरान फरियादियों से उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया जिसके क्रम में उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करते हुये मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त हुयी सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए जिससे आमजनमानस को बिना वजह परेशान होना पड़े।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस व प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल/थाना पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए उनके त्वरित व विधिक निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने
वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 08.06.2024 को थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ.नि. भगवानदीन थाना चरखारी द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त अनवर पुत्र नत्थू खां उम्र करीब 51 वर्ष निवासी ग्राम बमरारा थाना चरखारी जनपद महोबा हाल निवासी काशीराम कालोनी मेला ग्राउंड के पास कस्बा चरखारी जनपद महोबा को सम्बन्धित माननीय न्यायालय जे.एम. चरखारी (महोबा) द्वारा मु0न0 48/15 धारा 279/304ए भादवि में निर्गत वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को काशीराम कालोनी मेला ग्राउंड के पास कस्बा चरखारी से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ.नि. भगवानदीन
2.का0 हिमांशु कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तः-

अनवर पुत्र नत्थू खां उम्र करीब 51 वर्ष निवासी ग्राम बमरारा थाना चरखारी जनपद महोबा हाल निवास काशीराम कालोनी मेला ग्राउंड के पास कस्बा चरखारी जनपद महोबा